>

Title: Need to take stringent action against culprits involved in adulteration and short-weighting of food articles and other essential commodities of daily use.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान आजकल हमारा देश जिस मिलावट के दौर से गुजर रहा है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले कई राज्यों में छापे मारे गये जिससे पता चलता है कि हमारे यहां मिलावट और घटिया दर्जे के खाद्य पदार्थ किस हद तक बाजार में उपस्थित है। एक जानकारी से पता चला कि हमारे पूरे देश में 60 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में मिलावट मिली है। प्रशासन चाहे किसी सभी राज्य का हो वह आमतौर प र इस मामले में खामोश रहता है। कानून - व्यवस्था की असमर्थता इसका कारण है। अपराधियों को सुबह गिरफ्तार किया जाता है और शाम को उनको जमानत मिल जाती है। इससे गुनाह को पनपने का मौका मिलता हे। चाहे वह नकली दवा हो या जहरीली शराब हो या फिर घटिया दर्जे की कोई मिठाई हो, समस्या सिर्फ सामान्य आदमी की बढ़ रही है। हर शहर में पैट्रोल और डीजल के साथ मिट्टी के तेल की मिलावट एक सामानय बात हो गई है और नतीजा वही है, सुबह गिरफ्तारी और शाम को रिहाई।

सामान्य व्यक्ति जब बाजार की कोई छोटी-मोटी वस्तु खरीदता है तो उसक समय उसे कम वजन और कम मापतौल का सामना करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण यह है कि हमारे नागपुर में काटन मार्केट में तथा वर्धा शहर के सब्जी बाजार में कम वजन से तोलकर सामान दिया जाता है जहां दो किलोग्राम के वजन में एक पाव तक की कमी पाई जाती है।

आज स्थिति यह है कि सब्जी ताजी दिखाने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। फलों में जो सेब विदेश से आ रहा हे उस पर मोम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे वे चमकते नजर आयें।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि खाद्य-पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाये जायें।